FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0036 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/02/2025 16:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 17/02/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/02/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/02/2025 16:54:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 490 किमी **Beat No: (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** SARKARI AAVAS TAHSILDAR, BHANIYANA JILA JAISALMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MUKESH SARAN URF MOTARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PATARAM JI SARAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	UNCHAWARA KASHMEER, SHIV, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	UNCHAWARA KASHMEER, SHIV, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUMITRA CHOUDHARY		पत्नी:NAVEEN CHOUDHARY	1. 13,DEVNAGAR UCHIYARDA,SARAN NAGAR,JODHPUR
2	SHIVPRASAD SHARMA		पिता:BALA PRASAD SHARMA	1. 6-D-133,JAYNARAYAN VYAS COLONY,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
3	HANUMAN RAM AND OTHERS		पिता:BHNWARARAM	1. DHATRAWALO KI DHANEE,BAYATU BHIMAJ,BAYATU,BARMER,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 13.02.2025 को परिवादी श्री मुकेश सांरण उर्फ (मोटाराम) पुत्र श्री पताराम जी सारण उम्र 27 साल, जाति जाट, निवासी उंचावडा काशमीर तहसील शिव (बाडमेर) द्वारा भ्र.नि.ब्यूरो, मुख्यालय पर उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हाथ से लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तो पाया गया कि परिवादी के नाम से 238 बीघा जमीन सांगड तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर में नम्बर 2024 में खरीदी गई। उक्त जमीन की पैमाईस के लिए तहसीलदार फतेहगढ श्री शिवप्रकाश शर्मा जमीन की पैमाईश करने के लिए 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग की और परिवादी द्वारा कम करने की प्रार्थना करने पर 04 लाख रूपये रिश्वत के लेने के लिए तैयार हुआ, इसकें अलावा उक्त जमीन की पैमाईश में सहयोग करने के लिए हल्का पटवारी सांगड हनुमान राम जी मेरे से 02 लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई। इसके अलावा भणियाणा तहसीलदार श्रीमति सुमित्रा चौधरी जो उनके इलाका तहसील क्षैत्र की जमीन खरीदनी है उसको बिना रोक टोक रजिस्ट्री करने के लिए 50 लाख की मांग की और परिवादी द्वारा प्रार्थना करने पर 10 लाख रूपये रिश्वत के लेने के लिए सहमत हुई साथ ही परिवादी द्वारा बताया कि उसके व तहसीलदार भणियाना श्रीमति सुमित्रा चौधरी के बीच फोन पर हुई वार्ता को उसके द्वारा रिकार्ड किया गया है उसको आईन्दा पेश करने बताया इस पर परिवादी को उक्त वार्ता सुरक्षित रखने तथा आईन्दा पेश करने की हिदायत की गई। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत देन लेन का पाया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में पदस्थापित श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को बुलाया तथा परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम व श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. का आपस में परिच्य करवाया। अपने पास से एक डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर उसमें नया खाली मैमोरी कार्ड लगाकर, परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को सुपुर्द किया गया। इसके बाद श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को हिदायत की गई कि परिवादी श्री मुकेश सांरग जब भी संदिग्धों से वार्ता करने जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे तथा परिवादी व संदिग्धों के मध्य होने वाले वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे, बाद सत्यापन की कार्यवाही के वापस मेरे समक्ष उपस्थित होवें। इसके बाद परिवादी श्री मुकेश सारण व श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 14.02.2025 को समय 05.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री राजेन्द्र सिंह कानि. ने जरिये टेलीफोन अवगत करवाया कि मैं कल दिनांक 13.02.2025 को परिवादी श्री मुकेश सांरण के साथ भणियाना, जिला जैसलमेर आ गया था, आज सुबह परिवादी के साथ तहसील फतेहगढ गया जहां पर परिवादी को रिकार्डर ऑन कर तहसीलदार के समक्ष भिजा गया, कुछ समय बाद परिवादी वापस आया, जिसने रिकार्डर चालू हालत में सुपुर्द किया जिसको मेरे द्वारा बंद किया गया। इसके बाद परिवादी द्वारा बताया गया कि तहसीलदार श्री शिवप्रसाद शर्मा ने आज रूपयों की मांग नहीं करी तथा श्री शिवप्रसाद शर्मा द्वारा बताया कि रिश्वत राशि के बारे में आपको काम का कभी मना किया है क्या आपका काम कर देगें। इसके बाद मैं व परिवादी हल्का पटवारी सागंड श्री हनुमानराम के पास गये उससे पूर्व मेरे द्वारा रिकार्डर ऑन करके परिवादी को सुपुर्द कर दिया गया था। लगभग पौन घण्टे बाद परिवादी मेरे पास आया तथा रिकार्डर चालू हालात में पेश किया जिसको मेरे द्वारा बंद किया गया। इसके बाद परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री हनुमानराम उसकी जमीन के नामांतकरण एवं पैमाईश के पांच लाख रूपये रिश्वत के लेने के लिए तैयार हुआ है, जिसकी वार्ता इस डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड है। इसके बाद मैं परिवादी के साथ वापस उसके निवास स्थान पर आ रहा था कि रास्तें श्रीमति सुमित्रा चौधरी, तहसीलदार भणियाना का परिवादी के मोबाइल पर वाटसअप कॉल आया, उक्त वार्ता को मेरे द्वारा परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन करके डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता में श्रीमति सुमित्रा चौधरी द्वारा

परिवादी से उसकी भणियाणा ईलाके की जमीन की बेरोकटोक रजिस्ट्री, नामांतकरण तथा पैमाईस करने के लिए 60 लाख रूपये सभी कर्मचारियों के लिए की मांग कर स्वयं के लिए 10 लाख रूपये रिश्वत के लेने के लिए सहमत हुई है। इसके बाद श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. ने बताया कि श्री शिव प्रसाद तहसीलदार फतेहगढ, श्री हनुमानराम हल्का पटवारी सांगड तथा श्री सुमित्रा चौधरी तहसीलदार भणियाणा से हुई वार्तायें डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड है। इसके अलावा श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. द्वारा अपने मोबाइल से परिवादी श्री मुकेश सारण से वार्ता करवाई तो श्री मुकेश सारण द्वारा भी श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि द्वारा बताये गये तथ्य दौहराये इसके अलावा श्री मुकेश सारण ने बताया कि श्रीमति सुमित्रा चौधरी के मेरे मोबाइल पर वाटसअप पर आये अन्य कॉल को भी मेरे द्वारा रिकार्ड किया गया है, जिसमें श्रीमति सुमित्रा चौधरी तहसीलदारा भणियाण द्वारा सोमवार को 10 लाख रूपये स्वयं के लिए तथा 05 लाख रूपये तहसीलदार फतेहगढ श्री शिव प्रसाद के लिए लेने के लिए सहमत हुई है। जिसको मैं आपको आईन्दा पेश कर दूगां। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. को डिजिटल वाईस रिकार्डर व परिवादी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात दिनांक 15.02.2025 को समय 08.30 ए.एम. पर श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर डिजिटल वाईस रिकार्डर पेश कर दिनांक 14.02.2025 को बताये हालात दौहराये तथा बताया कि परिवादी श्री मुकेश सारण के रिश्तेदारी में शादी होने के कारण वो मेरे साथ जयपुर नहीं आया। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया, जिससे परिवादी व श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का आईन्दा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में फर्द वार्तारूपांतरण तैयार किया जावेगा। अब तक की कार्यवाही से तहसीलदार फतेहगढ श्री शिव प्रसाद शर्मा द्वारा परिवादी से कहा है कि आपका काम कर देगें, आपको काम का मना किया है तथा हल्का पटवारी सांगड श्री हनुमानराम द्वारा परिवादी की जमीन के नामांतकरण व पैमाईश के लिए 05 लाख रूपयें रिश्वत की मांग की गई तथा श्रीमति सुमित्रा चौधरी द्वारा परिवादी की भणियाण में स्थित जमीन की बेरोकटॉक रजिस्ट्री, नामांतकरण तथा पैमाईस के लिए 60 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर, 10 लाख रूपये रिश्वत के सोमवार को स्वयं के लिए तथा 05 लाख रूपये तहसीलदार फतेहगढ श्री शिवप्रसाद के लिए लेने के लिए सहमत हुई है। उपरोक्त कार्यवाही से रिश्वत मांग का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। दिनांक 17.02.2025 को परिवादी के बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 16.02.2025 को समय 09.30 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश सारण ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि मेरे द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था जोधपुर में कर ली गई है आप अपनी टीम के साथ जोधपुर आ जाओं, इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 17.02.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्र गवाह व एसीबी टीम को दिनांक 16.02.2025 समय 3.30 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 16.02.2025 समय 04.05 पी.एम. श्रीमति राजूदेवी महिला कानि. नं. 42 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पावडर की डिब्बी निकलवाई जाकर सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 यू.जे 1745 के डेसबोर्ड में सुरक्षित रखवाई गई। दिनांक 16.02.2025 को समय 09.45 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री केसर सिंह सउनि, श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 130, श्री पिन्टू मीणा हैड कानि. नं. 34, श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री हरकेश कुमार कानि नं. 69, श्री रूपकिशोर कानि. नं. 74, श्रीमति राजूदेवी म. कानि. नं. 42 व श्रीमति शर्मिला म. कानि. नं. 96 मय स्वतंत्र गवाह श्री नितिन जैन व श्री संजय जैन मय दो सरकारी वाहन व चालक मय ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर के ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर जोधपुर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम ने बताया कि दिनांक 13.02.2025 को मैं आपके कार्यालय से श्री राजेन्द्र सिंह के साथ भनियाणा आया, रात्रि मेरे निवास पर रहा। इसके बाद दिनांक 14.02.2025 को मैं श्री राजेन्द्र सिंह के साथ भनियाणा से रवाना होकर फतेहगढ गया जहां पर श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर ऑन करके मुझे दिया मैं तहसीलदार फतेहगढ श्री शिवप्रसाद शर्मा के पास गया, जहां पर उन्होने मुझे कहा कि आपका काम कर देगें, आपको आज तक काम का मना किया है क्या, इसके बाद तहसीलदार ने कहा कि मुझे मिंटिंग में जाना है, उक्त वार्ता को मेरे द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। इसके बाद मै व श्री राजेन्द्र सिंह पटवारी पटवार हल्का सांगड श्री हनुमानराम के पास गये, उससे पूर्व श्री राजेन्द्र सिंह जी द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करके मुझे दिया। मैनें वार्ता करने श्री हनुमानराम के पास गया, तो पटवारी श्री हनुमानराम उसकी जमीन के नामांतकरण एवं पैमाईश के पांच लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई। मेरे और पटवारी के मध्य हुये वार्तालाप को मेरे द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। इसके बाद मैं व श्री राजेन्द्र सिंह वार्ता करने के लिए श्रीमति सुमित्रा चौधरी के पास जाने लगे उससे पूर्व की श्रीमति सुमित्रा चोधरी तहसीलदार भणियाणा के मोबाइल नं. [redacted] से मेरे मोबाइल नं. [redacted] पर समय 01.45 पी.एम. पर वाटसअप कॉल आया जिसको मै मेरे मोबाइल में तथा श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में मेरे मोबाइल का स्पीकर ऑन करके रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा श्रीमति सुमित्रा चौधरी के पति श्री नवीन कुमार के मोबाइल नं. [redacted] से मेरे मोबाइल नं. [redacted] से समय 02.08 पी.एम. पर वाटसअप कॉल किया, समय 3.00 पी.एम. पर मेरे मोबाइल नं. [redacted] से श्रीमति सुमित्रा चौधरी के मोबाइल नं. [redacted] पर वाटसअप कॉल किया, श्रीमति सुमित्रा

चौधरी के मोबाइल नं. [redacted] से मेरे मोबाइल नं. [redacted] पर वाटस अप कॉल आया, समय 04.06 पी.एम पर मेरे द्वार मेरे मोबाइल नम्बर [redacted] से श्रीमति सुमित्रा चौधरी के मोबाइल नं. [redacted] पर किया गया वाटसअप कॉल, श्रीमति सुमित्रा चौधरी के मोबाइल नं. [redacted] से मेरे मोबाइल नं. [redacted] से समय 4.11 पी.एम. पर आया वाटसअप कॉल, मेरे द्वारा मेरे मोबाइल नं. [redacted] से श्रीमति सुमित्रा चौधरी के मोबाइल नं. [redacted] पर समय 4.21पी.एम. व समय 4.24 पी.एम. एवं मेरे मोबाइल नं. [redacted] पर श्रीमति सुमित्रा चौधरी के मोबाइल नं. [redacted] से समय 06.01पी.एम. पर आये वाटसअप कॉल के स्कीनशॉट में आपको पेश कर रहा हूं, उक्त कॉल में से कुछ कॉल मेरे द्वारा रिकार्ड किये गये है जो मैं आपको पेश कर दूंगा। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ए.सी.बी. टीम के जोधपुर में ही रात्रि मुकीम हुआ। दिनांक 17.02.2025 को सुबह 05.50 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री संजय जैन पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जैन जाति जैन, उम्र 55 साल, निवासी-4 ठ 7, जवाहर नगर, जयपुर हाल स्टोर मुंशी, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड 4 उतर, जयपुर तथा श्री नितिन जैन पुत्र श्री माणक चंद जैन, जाति जैन, उम्र 31 साल, निवासी-मकान नम्बर 78ए देवधारा कॉलोनी, मुरलीपुरा, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड 6 उतर, जयपुर का परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम से परिचय करवाया गया। परिवादी का प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया गया, दोनों गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम को संदिग्ध श्री सुमित्रा चौधरी, तहसीलदार, तहसील भनियाना, जिला जैसलमेर एवं अन्य को रिश्वत में दिये जाने वाली रिश्वती राशि 15 लाख रूपये जिसमें से 10 लाख रूपये श्री सुमित्रा चौधरी, तहसीलदार, तहसील भनियाणा, जिला जैसलमेर के लिये तथा 5 लाख रूपये श्री शिवप्रसाद तहसीलदार, फतेहगढ जिला जैसलमेर को रिश्वत में देने के लिये पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे से केवल 3 लाख रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है। मैने सुन एवं पढ रखा है कि एसीबी द्वारा बडी रिश्वत राशि के प्रकरणों में डमी राशि का भी उपयोग किया जाता है। इसलिये मै 3 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अलावा 12 लाख रूपये की भारतीय मनोरंजन बैक के समान नम्बरी की डमी राशि बाजार से लेकर आया हू। इसके बाद परिवादी ने अपने पास से पांच-पांच सौ रूपये के 600 नोट कुल 03 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा एवं 12 लाख रूपयो की डमी राशि अपने पास से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये। पांच-पांच सौ रूपये के 600 नोट (06गड्डियां) कुल 03 लाख रूपये भारतीय चलन मुद्रा जिनका विवरण फर्द पेशकशी नोट में पृथक से किया गया। उक्त नम्बरी नोटो को पांच पांच सौ रूपयों के 100-100 नोटो की 06 गडियां कुल 03 लाख रूपयों के भारतीय मनोरंजन बैक के समान नम्बर DUK 616850 डमी नोट है। उक्त भारतीय चलन मुद्रा के पांच पांच सौ रूपयों के 600 नोटों के नम्बर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। इसके बाद श्रीमति राजु देवी महिला कानि 42 से सरकारी वाहन नम्बर RJ14UJ1745 के डैशबोर्ड में पूर्व से सुरक्षित रखवाई हुई फिनोफ्थलीन पॉउडर की डिब्बी निकलवाकर गेस्ट हाउस के एक कमरे में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोटों एवं डमी राशि के नम्बरी नोटों को रखकर उक्त नोटों पर श्री राजु देवी महिला कानि 42 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। जिनमें से 05 लाख रूपये के पेकेट को एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली में रखवाये गये तथा 10 लाख रूपये एक हरे रंग के बडे लिफाफे में रखवाकर दोनों पेकेटो को काले रंग का पीयूमा का बैग जिस पर चीता का सफेद चिन्ह है। उसके बाद परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम की जामा तलाशी गवाह श्री नितिन जैन से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोट एवं डमी राशि के पेकेटो को उक्त काले रंग के बैग में श्रीमति राजु देवी महिला कानि 42 से रखवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पॉउडर की डिब्बी को श्रीमति राजु देवी महिला कानि 42 वापस पॉलिथिन में पैक करवाकर सुरक्षित श्रीमति राजु देवी महिला कानि 42 के पास रखवायी गयी। उसके पश्चात श्री पिन्टु हैड कानि. से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया, जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्रीमति राजु देवी महिला कानि 42 की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलावी हो गया, जिस पर परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम व स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथो में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध ने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के

बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाइल नं. [redacted] पर अपने मोबाइल से मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पहले व पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। परिवादी को भी हिदायत की गई कि वह यह भी ध्यान रखे कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे ले रहा है और वह गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिश्वत राशि को कहां पर रखता है। तत्पश्चात श्रीमति.राजु देवी महिला कानि 42 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्रीमति.राजु देवी महिला कानि 42 को कार्यालय में छोडा गया। ट्रेप बॉक्स से पूर्व में सुरक्षित रखा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकालकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर में एक नया मैमोरी कार्ड SanDisk कम्पनी का लगाया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम जब संदिग्धो को रिश्वत राशि देने जाये, उससे पूर्व रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को देना सुनिश्चित करें। परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। श्रीमति.राजु देवी महिला कानि 42 को फिनोफ्थलीन पॉउडर डिब्बी को सुरक्षित यूनिट कार्यालय जयपुर पहुंचकर कार्यालय की अलमारी में रखने की हिदायत मुनासिब कर रवाना यूनिट कार्यालय जयपुर किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय श्री केसर सिंह सउनि, श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 130, श्री पिन्टू मीणा हैड कानि. नं. 34, श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री हरकेश कुमार कानि नं. 69, श्री रूपकिशोर कानि. नं. 74, श्रीमति राजूदेवी म. कानि. नं. 42 व श्रीमति शर्मिला म. कानि. नं. 96 मय स्वतंत्र गवाह श्री नितिन जैन व श्री संजय जैन मय दो सरकारी वाहन व चालक मय परिवादी मय ट्रेप बाक्स मय लैपटॉप प्रिन्ट के ट्रेप कार्यवाही हेतु भणियाणा के लिए रवाना हुआ। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुकेश सारण के मोबाइल नं. [redacted] से आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी के मोबाइल नं. [redacted] पर वाटसअप कॉल करवाया गया जिसको डिजिटल वाईस रिकार्डर में परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन करके रिकार्ड किया गया। जिस आरोपिया द्वारा परिवादी को अपने ऑफिस में मिलने बुलवाया। इसके कुछ समय पश्चात परिवादी के मोबाइल नं. [redacted] पर आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी के पति श्री नवीन कुमार के मोबाइल नं. [redacted] पर कॉल करके मिलने के लिए घर पर बुलवाया जिसको भी परिवादी के मोबाइल का स्पीकर ऑन करके ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम को रिश्वत राशि के साथ एवं श्री राजेन्द्र सिंह हैड कानि., श्रीमति शर्मिला म.कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री नितिन को तहसीलदार निवास के लिए रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष टीम के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुये। समय 01.20 पर परिवादी श्री मुकेश सारण ने नियत गोपनीय ईशारा किया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय टीम के तहसीलदार निवास पर पहुँचे, जहां पर दरवाजा खटखटाया तो एक महिला आई जिसने बिना दरवाजा खोले भागी, इस पर परिवादी द्वारा दरवाजा खोला इसके बाद निवास में प्रवेश किया, जिसकी विडियोंग्राफी श्री वीरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212 से करवाई गई। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किये गये, मकान में एक महिला रिश्वत राशि के पैकिट को लेकर निवास के पीछे के दरवाजे से भागने का प्रयास किया, जिसको जाप्ते की मद से डिटेन किया गया, जिसका बांया हाथ कलाई के उपर से श्रीमति शर्मिला म. कानि. से तथा दाहिनी हाथ श्री रूपकिशोर कानि. से पकडवाया गया। रिश्वत राशि जमीन कर बिखर गई, जिसमें एक 2.5 लाख रूपये की गड्डी निवास के पीछे बनी चार दिवारी पर पडी दिखी एवं शेष राशि निवास के पास बने डाक्टर्स क्वार्टर के पीछे पडी दिखाई थी। इसके पश्चात रिश्वत राशि मय लिफाफा व एक सफेद प्लास्टिक की थैली को स्वतंत्र गवाह श्री नितिन जैन से उठावाई गई। इसके बाद महिला को अपना व ए.सी.बी. टीम का परिचय देकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमति सुमित्रा चौधरी पत्नि श्री नवीन चौधरी उम्र 30 साल जाति जाट निवासी प्लाट नं. 13, देवनगर उचियारडा, सारन नगर जिला जोधपुर हाल तहसीलदार, तहसील, भणियाणा, जिला जैसलमैर होना बताया, इसके बाद वहां मौजूद परिवादी ने बताया कि यह श्रीमति सुमित्रा चौधरी है जिन्होने मेरे से अभी अभी 05 लाख रूपये श्री शिवप्रसाद शर्मा तहसीलदार तहसील फतेहगढ के लिए मेरे द्वारा सांगड तहसील फतेहगढ में खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री करवाने, नामातंकरण करने एवं पैमाईस करने के लिए एवं तहसील भणियाणा में खरीदी जाने वाली जमीन की रजिस्ट्री करवाने, नामातंकरण करने एवं पैमाईस करने के लिए 60 लाख रूपये की मांग कर आज 10 लाख रूपये स्वयं के लिए तथा 05 लाख रूपये तहसीलदार फतेहगढ श्री शिवप्रसाद के लिए लिये। इसके बाद श्रीमति सुमित्रा चौधरी से पुनः रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि इस राशि से मेरा कोई लेना देना नहीं है, यह राशि तो फतेहगढ तहसीलदार के लिए ली थी। इसके बार

श्रीमति सुमित्रा चौधरी से पूछा कि आपके द्वारा रिश्वत राशि फेकी गई है तो श्रीमति सुमित्रा चौधरी ने स्वयं द्वारा फेकना स्वीकार किया गया। इसके पश्चात ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच के गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगविहीन था। उसके पश्चात ग्लास के धोल में आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी के दंहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को ग्लास के घोल में डूबोकर घुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क क्रमशः आरएच-1 व आरएच-2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशोयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार पुनः एक साफ कांच के गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगविहीन था। उसके पश्चात ग्लास के धोल में आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को ग्लास के घोल में डूबोकर घुलवाया गया तो मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर मार्क क्रमशः एलएच-1 व एलएच-2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनो शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री नितिन जैन को सुपुर्द की गई रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से करवाया गया तो गवाहान ने फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बरों से हुबहु होना बताया, इसके बाद भारतीय चलन मुद्रा के पांच पांच सौ के 600 नोट कुल 03 लाख रूपयों को एक सफेद कागज की चिट लगाकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। शेष डमी राशि को सींल चिट कर भारतीय मनोरंजन बैंक को कब्जा एसीबी लिया गया। जिस हरे रंग की लिफाफे व एक सफेद प्लास्टिक की थैली जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई थी, जो रिश्वत राशि के साथ बरामद हुये उन दोनों को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर, थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील चिट कर थैली पर मार्का "पी अंकित कर कब्जा एसीब्री लिया गया। परिवादी श्री मुकेश सारंग उर्फ मोटाराम की ग्राम सांगड तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर की रजिस्ट्री एवं उससे संबंधित पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रतियां पृथक से प्राप्त की जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी पत्नि श्री नवीन चौधरी उम्र 30 साल जाति जाट निवासी प्लाट नं. 13, देवनगर उचियारडा, सारन नगर जिला जोधपुर हाल तहसीलदार, तहसील, भणियाणा, जिला जैसलमैर के द्वारा श्री शिवप्रसाद शर्मा तहसीलदार तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर से आपस में आपराधिक षडयंत्र कर परिवादी श्री मुकेश सारण उर्फ मोटाराम से उसकी ग्राम सांगड तहसील फतेहगढ जिला जैसलमैर में खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री करवाने, नामांतकरण करवाने एवं पैमाईस करवाने के लिए 05 लाख रूपये एवं तहसील भणियाणा क्षैत्र में खरीदने वाली जमीन की रजिस्ट्री करवाने, नामांतकरण करवाने एवं पैमाईस करवाने के लिए 60 लाख रूपये की मांग कर आज दिनांक 17.02.2025 को 05 लाख रूपये श्री शिवप्रसाद शर्मा, तहसीलदार फतेहगढ के लिए तथा 10 लाख रूपये स्वयं के लिए दोनो हाथो से प्राप्त कर, अपनी निवास स्थान के पीछे की तरफ फेक दिया जो बरामद की गई, आरोपिता के दोनों हाथों का धोवन लिया गया, धोवन का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 व 12 भष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 61 भारतीय न्याय संहिता में प्रमाणित है। आरोपिया श्रीमति सुमित्रा चौधरी को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामदशुदा रिश्वती राशि, हाथ के धोवन, पेन्ट आदि माल वजह सबूत को सील मोहर किये जाने में काम में ली गई सील का नमूना फर्द अंकन किया गया। उक्त ट्रेप कार्यवाही लम्बी चलने के कारण विडियो कैमरे की विडियो रिकॉर्डिंग सक्षमता कम होने से ट्रेप कार्यवाही के प्रारम्भ की व अन्त की विडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उक्त विडियो फाईल की हैस वैल्यू का प्रिन्ट आउट निकाल कर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फर्द तैयार की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं फर्द हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 18.02.2025 को आरोपी श्री शिवप्रसाद शर्मा व आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी के पास मिले मोबाइलों को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बाद अनुसंधान नियमानुसार जप्त कर फर्द जप्ती तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 14.02.2025 वक्त रिश्वत मांग सत्यापन व दिनांक 17.02.2025 वक्त रिश्वत लेन देन के समय हुई वार्तायें तथा आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी के मोबाइल में मिली रिकार्ड वार्ताओं का स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्तारूपांतरण तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री शिवप्रसाद शर्मा को बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। दिनांक 18.02.2025 को आरोपी श्री शिवप्रसाद शर्मा व आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगण को दिनांक 03.03.2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। दोनों आरोपीगण वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी श्री हनुमानराम अपने निवास स्थान तथा पदस्थापन स्थान से फरार है। प्रकरण में अब तक की कार्यवाही से आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी पत्नि श्री नवीन चौधरी उम्र 30 साल जाति जाट निवासी प्लाट नं. 13, देवनगर उचियारडा, सारन नगर जिला जोधपुर हाल तहसीलदार, तहसील, भणियाणा, जिला जैसलमैर के द्वारा श्री शिवप्रसाद शर्मा तहसीलदार तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर से आपस में आपराधिक षडयंत्र कर परिवादी श्री मुकेश सारंग उर्फ मोटाराम से उसकी ग्राम सांगड तहसील फतेहगढ जिला जैसलमैर में खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री करवाने, नामांतकरण करवाने एवं पैमाईस करवाने के लिए 05 लाख रूपये एवं तहसील

भणियाणा क्षेत्र में खरीदने वाली जमीन की रजिस्ट्री करवाने, नामांतकरण करवाने एवं पैमाईस करवाने के लिए 60 लाख रूपये की मांग कर दिनांक 17.02.2025 को 05 लाख रूपये श्री शिवप्रसाद शर्मा, तहसीलदार फतेहगढ के लिए तथा 10 लाख रूपये स्वयं के लिए दोनो हाथो से प्राप्त कर, अपनी निवास स्थान के पीछे की तरफ फेक दिया जो बरामद की गई, आरोपिता के दोनों हाथों का धोवन लिया गया, धोवन का रंग गुलाबी होना पाया गया। आरोपिता श्रीमति सुमित्रा चौधरी एवं श्री शिवप्रसाद शर्मा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 व 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 61 भारतीय न्याय संहिता में प्रमाणित पाया गया है। इसके अलावा श्री हनुमानराम हल्का पटवारी सांगड, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर द्वारा दिनांक 14.02.2025 वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा सांगड में खरीद गई जमीन का नामांतकरण दर्ज करने एवं पैमाईस करने की एवज में 05 लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई है, उक्त वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर पेश किया गया है। अतः आरोपी श्री हनुमानराम हल्का पटवारी सांगड, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अब तक की कार्यवाही से आरोपिता 1. श्रीमति सुमित्रा चौधरी पत्नि श्री नवीन चौधरी उम्र 30 साल जाति जाट निवासी प्लाट नं. 13, देवनगर उचियारडा, सारन नगर जिला जोधपुर हाल तहसीलदार, तहसील, भणियाणा, जिला जैसलमैर, 2. श्री शिवप्रसाद शर्मा पुत्र श्री बाला प्रसाद शर्मा उम्र-50 वर्ष, जाति-ब्राम्हण निवासी मकान नं. 6-डी-133, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर हाल नायब तहसीलदार कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार, तहसील-फतेहगढ, जिला-जैसलमेर 3. श्री हनुमान राम पुत्र श्री भंवराराम निवासी धतरवालों की ढाणीं, बायतू भीमज, तहसील बायतू जिला बाडमेर हाल वरिष्ठ पटवारी, पटवार हल्का सांगड, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर व अन्य के विरूद्ध धारा 7 व 12 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में पेश है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. द्वितीय, जयपुर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपिता 1. श्रीमति सुमित्रा चौधरी पत्नि श्री नवीन चौधरी उम्र 30 साल जाति जाट निवासी प्लाट नं. 13, देवनगर उचियारडा, सारन नगर जिला जोधपुर हाल तहसीलदार, तहसील, भणियाणा, जिला जैसलमैर, 2. श्री शिवप्रसाद शर्मा पुत्र श्री बाला प्रसाद शर्मा उम्र-50 वर्ष, जाति-ब्राम्हण निवासी मकान नं. 6-डी-133, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर हाल नायब तहसीलदार कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार, तहसील-फतेहगढ, जिला-जैसलमेर 3. श्री हनुमान राम पुत्र श्री भंवरराम निवासी धतरवालों की ढाणीं, बायतू भीमज, तहसील बायतू जिला बाडमेर हाल वरिष्ठ पटवारी, पटवार हल्का सांगड, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर व अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुनील सियाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 319 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 180-84 दिनांक 19-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर क्रम संख्या-1, जोधपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-अध्यक्ष,राजस्व मण्डल, अजमेर । 4- जिला कलक्टर, जैसलमेर 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): **(जाँच अधिकारी का नाम):** sunil sihag Rank **(पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]2/2025 1[illegible]4

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	10/09/1994				
2	Male	03/08/1993				
3	Male	20/06/1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)